

कार्यालय जयपुर विकास प्राधिकरण

इन्दिरा सर्किल, जवाहरलाल नेहरू मार्ग, जयपुर

क्रमांक : एफ () जविप्रा/जोन

/ 20 / डी 524

दिनांक : 19.7.2021

उप पंजीयक

मुद्रांक एवं पंजीयन विभाग,

जयपुर

विषय : - लीजडीड पंजीकृत करने बाबत

महोदय,

इस पत्र के साथ महावीर नगर योजना के भूखण्ड संख्या

98(58) 99 and 100, 101,

श्री / कुमारी / श्रीमती

मे दाद श्री श्याम २२-२३ डी ५२४ के

पक्ष में निष्पादित कर भिजवाया जा रहा है। कृपया नियमानुसार पंजीकृत करने की कार्यवाही करावे।

संलग्न : - लीजडीड

महोदय श्री २३/० सुरनाथ

भवदीय



उपायुक्त जोन
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर
जोन-पी.आर.एन. (दक्षिण-द्वितीय)
जविप्रा, जयपुर

प्रतिलिपि : - श्री / श्रीमती / सुश्री .

पता

को प्रेषित कर लेख है कि

कृपया उक्त लीजडीड का नियमानुसार पंजीयक जयपुर के समक्ष उपस्थित होकर पंजीयन कराने की कार्यवाही करें।

उपायुक्त जोन

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर



प्रभास नहर के संग अनियान
पी.आर.एन. इंसिग. द्वितीय
जविप्रा, जयपुर

जयपुर विकास प्राधिकरण

पट्टा-विलेख (फ्री होल्ड)

आवासीय

पृथ्वीराज नगर योजना के सम्बन्ध में राज्य सरकार द्वारा जारी आदेशों के अन्तर्गत भूमि का पट्टा विलेख

क्रमांक / 529

दिनांक 19-7-2022

पट्टा धारक का नाम पुत्र/पुत्री
पत्नी पति
निवासी

अथवा

पट्टा धारक मैसर्स श्री श्याम एन्टरप्राइजेस कार्यालय पता (सी-56, पश्चिम-एकीकृत लोहा भण्ड)
निकट रोड, 64572 जसिये पार्टनर महिपाल इंसिया
(पदनाम) श्री/श्रीमती/सुश्री पुत्र/पुत्री सुरजाराज
निवासी (सी-56 पश्चिम-एकीकृत लोहा भण्ड) निकट रोड, 64572
भूखण्ड सं. 94(5.8) 93 amd 100 क्षेत्रफल 2983.51 वर्ग मी.
राजस्व ग्राम 01, 102 amd 102A खसरा सं.
योजना जयपुर नगर में स्थित है।
स्थानीय निकाय (पट्टा कर्ता) द्वारा पट्टा धारक के पक्ष में उक्त भूखण्ड का पट्टा दिनांक 19-7-2022 को
निष्पादित किया जाता है।

For M/s Shree Shyam Enterprises
पट्टा धारक के हस्ताक्षर
महिपाल इंसिया
Partner

उपायुक्त
प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर मय मोहर
जविप्रा, जयपुर

2.

नोट - शर्तें पीछे पृष्ठ पर अंकित हैं।



आवासीय पट्टा विलेख की शर्तें (फ्री होल्ड)

(पृथ्वीराज नगर योजना के सम्बन्ध में राज्य सरकार द्वारा जारी आदेशों के अन्तर्गत भूमि का पट्टा विलेख)

पट्टे की शर्तें

1. पट्टा धारक द्वारा भूखण्ड/निर्मित क्षेत्र का उपयोग वही किया जाएगा जिस उपयोग हेतु पट्टा विलेख जारी किया गया है। भूखण्ड पर प्रचलित भवन विनियम में सम्बन्धित अनुसूची में उल्लेखित उपयोग अनुज्ञेय होंगे, परन्तु प्रत्येक उपयोग हेतु निर्धारित मानदण्डों की पालना सुनिश्चित की जावे।
2. पट्टा धारक उक्त भूखण्ड को विक्रय अथवा अन्य प्रकार से हस्तान्तरित कर सकेगा तथा भूखण्ड को उप-पट्टे (सब-लीज) पर भी दे सकेगा।
3. उक्त भूखण्ड के विक्रय/हस्तान्तरण पर क्रेता के पक्ष में नाम परिवर्तन के लिए निकाय में निर्धारित शुल्क आवेदन के साथ पंजीकृत विक्रय पत्र आदि प्रस्तुत किये जायेंगे, परन्तु पट्टाधारक के उत्तराधिकारी के मामले में कोई राशि देय नहीं होगी।
4. पट्टा विलेख को सरकार/जीवन बीमा निगम/ऋणदात्री संस्थाओं के पास बंधक (मोर्गेज) रखा जा सकेगा, जिसके लिए स्थानीय निकाय के अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) की आवश्यकता नहीं होगी।
5. भूखण्ड पर भवन निर्माण प्रचलित भवन विनियमों के मानदण्डों तहत करना होगा।
6. पट्टा कर्ता (स्थानीय निकाय) की बिना स्वीकृति के भूखण्ड का उपविभाजन/पुनर्गठन व भू उपयोग परिवर्तन नहीं किया जा सकेगा।
7. पट्टा विलेख जारी करने की दिनांक से निर्धारित अवधि में निर्माण करना होगा। निर्धारित अवधि में निर्माण नहीं होने पर निर्धारित दर से अवधि विस्तार किया जा सकेगा अन्यथा पट्टा विलेख निरस्त किया जा सकता है।
8. पट्टा विलेख के निष्पादन के पश्चात् नियम विरुद्ध तथा तथ्य छुपाकर पट्टा विलेख प्राप्त किया गया है तो उक्त भूखण्ड का पट्टा निरस्त किया जा सकेगा।
9. पट्टा विलेख की योजना में आन्तरिक विकास पर होने वाले व्यय विकासकर्ता/गृह निर्माण सहकारी समिति द्वारा वहन किया जायेगा।
10. पट्टा विलेख जिन अधिनियमों, नियमों, नीति, विनियम के तहत जारी किया गया है। इनके सभी प्रावधान व शर्तें लागू होंगी जिनकी पालना नहीं करने पर पट्टा निरस्त किया जा सकेगा।
11. अन्य.....

नोट :- आवास (निर्मित भूखण्ड) में शर्त नं. 7 लागू नहीं होगी।

स्टाम्प ड्यूटी हेतु पट्टे की प्रति फल राशि रु. 25

र. 25/25/25

500 = 50

भूखण्ड के पड़ोस की सीमाओं का विवरण:-

पूर्व..... पश्चिम.....

उत्तर..... दक्षिण.....

साइट प्लान संलग्न है।

पट्टा धारक के हस्ताक्षर

FC.

1. महिपाल डुकिपा
2. Partners



साक्षी :-

हस्ताक्षर Abhishek Kumar Aggarwal

नाम अभिषेक कुमार अग्रवाल

पता 54, P. निवास, गंगेश नगर निवासी,

रामेश नगर, जयपुर (रा.) बलवान सिंह

(से.नि.) सहायक
पी.आर.एन (दक्षिण)
ज.वि.प्रा. जयपुर

उपायुक्त

जोधिकृति अधिकारी के हस्ताक्षर वी.सी. सोहर
जयपुर, जयपुर



जयपुर विकास प्राधिकरण

प्रशासन शास्त्रों में

पी.आर.एन. दक्षिण-द्वितीय
जयपुर, जयपुर

2021

पट्टा-विलेख (फ्री होल्ड)

आवासीय

पृथ्वीराज नगर योजना के सम्बन्ध में राज्य सरकार द्वारा जारी आदेशों के अन्तर्गत भूमि का पट्टा विलेख

क्रमांक /

529

दिनांक

19-7-2022

पट्टा धारक का नाम

पुत्र/पुत्री

पत्नी

पति

निवासी

अथवा

पट्टा धारक मैसर्स

कार्यालय पता

सी-56, 4 सी-फ्रीड

न्यू लोहा मण्डल सीकर रोड, जयपुर जयपुर पार्टनर महिपाल इकिया

(पदनाम) श्री/श्रीमती/सुश्री

पुत्र/पुत्री

सुरजाम

निवासी सी-56, 4 सी-फ्रीड न्यू लोहा मण्डल सीकर रोड, जयपुर

भूखण्ड सं. 98(ड.प.) 99म्ह 100, 101, क्षेत्रफल

2 983. 51 वर्ग म

राजस्व ग्राम 102 म्ह 102 म

खसरा सं.

योजना महावीर नगर में स्थित है।

स्थानीय निकाय (पट्टा कती) द्वारा पट्टा धारक के पक्ष में उक्त भूखण्ड का पट्टा दिनांक 19-7-2022 को निष्पादित किया जाता है।

For M/s Shyam Enterprises
पट्टा धारक के हस्ताक्षर

महिपाल इकिया Partner

1.
2.

उपायुक्त
प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर मय मोहर
जयपुर, जयपुर

नोट - शर्तें पीछे पृष्ठ पर अंकित हैं।



आवासीय पट्टा विलेख की शर्तें (फ्री होल्ड)

(पृथ्वीराज नगर योजना के सम्बन्ध में राज्य सरकार द्वारा जारी आदेशों के अन्तर्गत भूमि का पट्टा विलेख)

पट्टे की शर्तें

1. पट्टा धारक द्वारा भूखण्ड/निर्मित क्षेत्र का उपयोग वही किया जाएगा जिस उपयोग हेतु पट्टा विलेख जारी किया गया है। भूखण्ड पर प्रचलित भवन विनियम में सम्बन्धित अनुसूची में उल्लेखित उपयोग अनुज्ञेय होंगे, परन्तु प्रत्येक उपयोग हेतु निर्धारित मानदण्डों की पालना सुनिश्चित की जावे।
2. पट्टा धारक उक्त भूखण्ड को विक्रय अथवा अन्य प्रकार से हस्तान्तरित कर सकेगा तथा भूखण्ड को उप-पट्टे (सब-लॉज) पर भी दे सकेगा।
3. उक्त भूखण्ड के विक्रय/हस्तान्तरण पर क्रेता के पक्ष में नाम परिवर्तन के लिए निकाय में निर्धारित शुल्क आवेदन के साथ पंजीकृत विक्रय पत्र आदि प्रस्तुत किये जायेंगे, परन्तु पट्टाधारक के उत्तराधिकारी के मामले में कोई राशि देय नहीं होगी।
4. पट्टा विलेख को सरकार/जीवन बीमा निगम/ऋणदात्री संस्थाओं के पास बंधक (मोर्गेज) रखा जा सकेगा, जिसके लिए स्थानीय निकाय के अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) की आवश्यकता नहीं होगी।
5. भूखण्ड पर भवन निर्माण प्रचलित भवन विनियमों के मानदण्डों तहत करना होगा।
6. पट्टा कर्ता (स्थानीय निकाय) की बिना स्वीकृति के भूखण्ड का उपविभाजन/पुनर्गठन व भू उपयोग परिवर्तन नहीं किया जा सकेगा।
7. पट्टा विलेख जारी करने की दिनांक से निर्धारित अवधि में निर्माण करना होगा। निर्धारित अवधि में निर्माण नहीं होने पर निर्धारित दर से अवधि विस्तार किया जा सकेगा अन्यथा पट्टा विलेख निरस्त किया जा सकता है।
8. पट्टा विलेख के निष्पादन के पश्चात् नियम विरुद्ध तथा तथ्य छुपाकर पट्टा विलेख प्राप्त किया गया है तो उक्त भूखण्ड का पट्टा निरस्त किया जा सकेगा।
9. पट्टा विलेख की योजना में आन्तरिक विकास पर होने वाले व्यय विकासकर्ता/गृह निर्माण सहकारी समिति द्वारा वहन किया जायेगा।
10. पट्टा विलेख जिन अधिनियमों, नियमों, नीति, विनियम के तहत जारी किया गया है। इनके सभी प्रावधान व शर्तें लागू होगी जिनकी पालना नहीं करने पर पट्टा निरस्त किया जा सकेगा।
11. अन्य.....

नोट :- आवास (निर्मित भूखण्ड) में शर्त नं. 7 लागू नहीं होगी।

स्टाम्प ड्यूटी हेतु पट्टे की प्रति फल राशि

रकम राशि 500 = 00

भूखण्ड के पड़ोस की सीमाओं का विवरण:-

पूर्व..... पश्चिम.....
उत्तर..... दक्षिण.....

साइट प्लान संलग्न है।

For M/s	पट्टा धारक के हस्ताक्षर	अंगूठा निशान
1.	साहेबलाल	अंगूठा निशान
2.	Partner	अंगूठा निशान

साक्षी :-

हस्ताक्षर Jaiendra Kumar Aggarwal
नाम जैन्ड कुमार अग्रवाल
पता 547, तिग्रा मार्ग, गगेरा नगर निस्तर,
राजेन्द्र नगर, प्लॉट (रा.)

जलवान सिंह
(से.नि.) सहायक
पी.आर.एन (दक्षिण)
ज.वि.प्रा. जयपुर

उपायुक्त
प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर मय मोहड़
जविप्रा, जयपुर



जविप्रा

जयपुर विकास प्राधिकरण

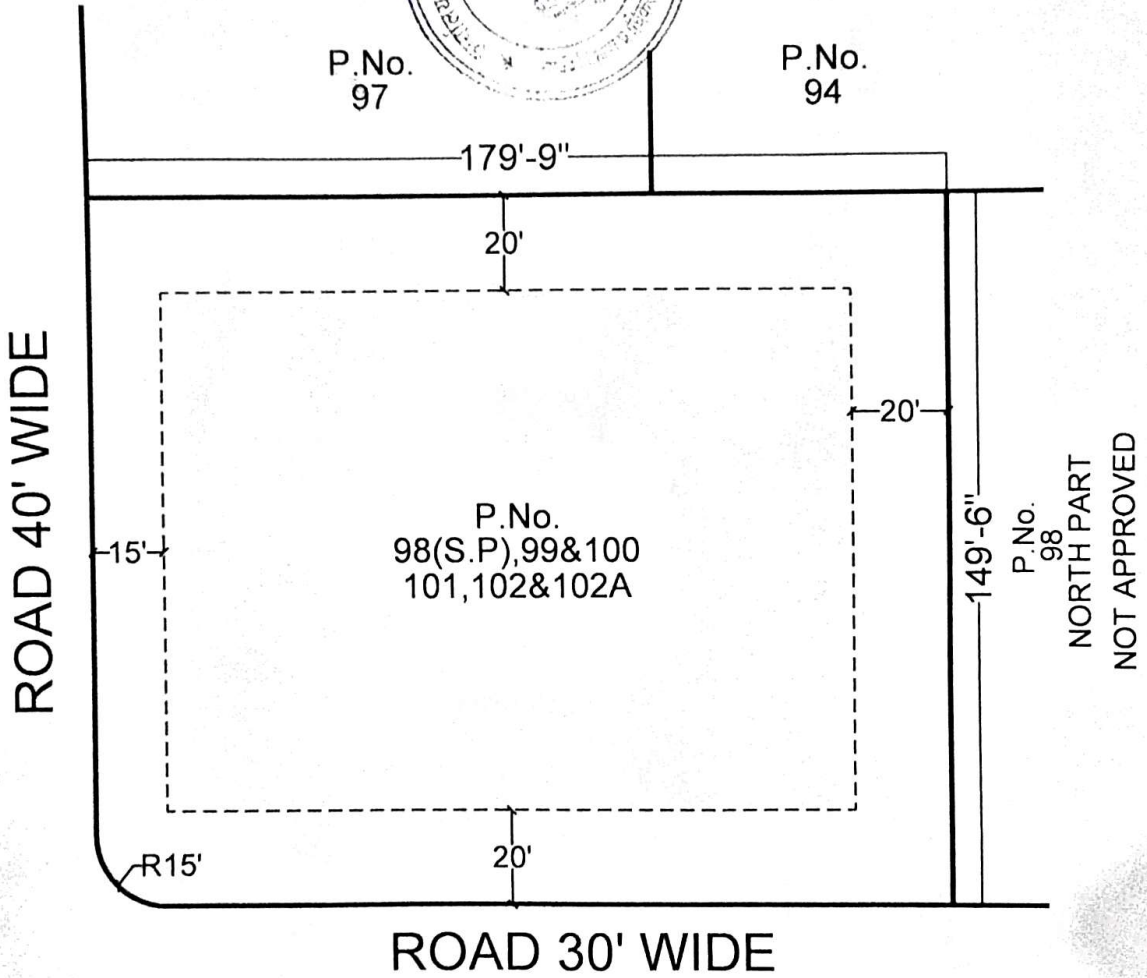
साईट प्लान

पुर्नगठन



भूखण्ड संख्या - 98(S.P) 99&100,101,102&102A
 योजना का नाम - महावीर नगर (ग्राम मानपुर देवरी उर्फ गोल्यावास)
 विकासकर्ता - हसनपुरा ए गृह निर्माण सहकारी समिति लि.

भूखण्ड का क्षेत्रफल-2983.51 वर्गज
 पैमाना - 1 इंच = 40 फीट
 भू-उपयोग - आवासीय



नोट- भवन निर्माण स्वीकृति एकीकृत भवन विनियम 2020 के अनुसार लागू होगी।

कनिष्ठ / सहायक अभियंता
 पी.आर.एन.(दक्षिण -II)

सहायक / उप नगर नियोजक
 पी.आर.एन.(दक्षिण -II)

उपनिर्देशक
 पी.आर.एन.(दक्षिण -II)
 जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर



जविप्रा

जयपुर विकास प्राधिकरण

साईट प्लान

पुर्नगठन



भूखण्ड संख्या - 98(S.P) 99&100,101,102&102A

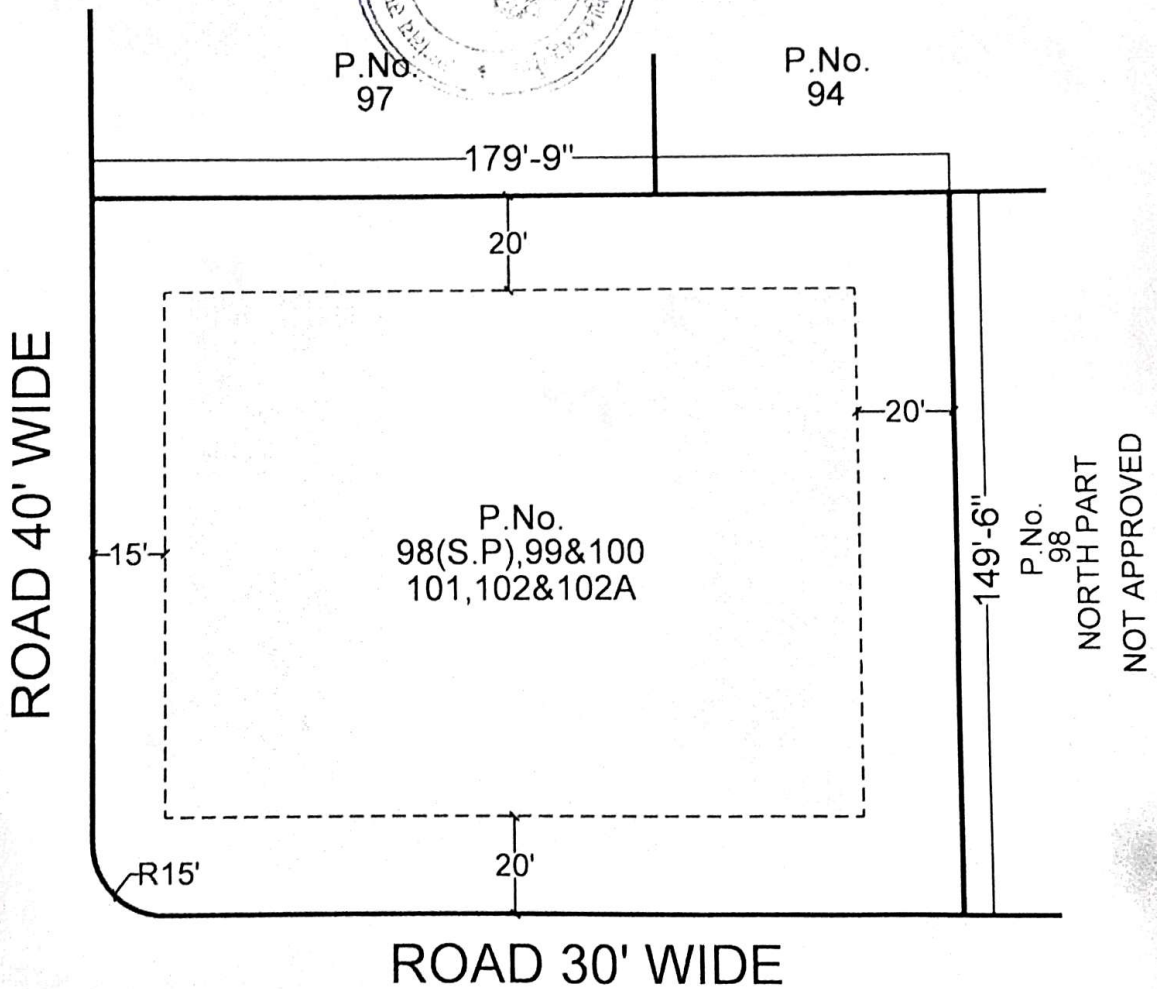
योजना का नाम - महावीर नगर (ग्राम मानपुर देवरी उर्फ गोल्यावास)

विकासकर्ता - हसनपुरा ए गृह निर्माण सहकारी समिति लि.

भूखण्ड का क्षेत्रफल- 2983.51 वर्गगज

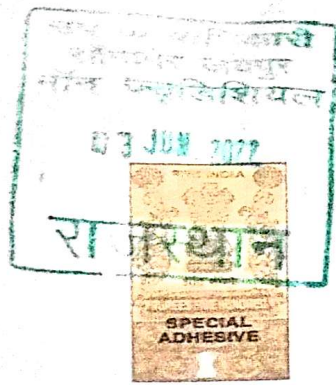
पैमाना - 1 इंच = 40 फीट

भू-उपयोग - आवासीय



नोट- भवन निर्माण स्वीकृति एकीकृत भवन विनियम 2020 के अनुसार लागू होगी।

कनिष्ठ / सहायक अभियंता
पी.आर.एन. (दक्षिण - II)सहायक / उप नगर नियोजक
पी.आर.एन. (दक्षिण - II)उपायुक्त
उपायुक्त
जोन-पी.आर.एन. (दक्षिण - II)
जविप्रा, जयपुर



परिशिष्ट

पंजीयन हेतु प्रमाण पत्र

यह कि जयपुर विकास प्राधिकरण/नगर विकास न्यास/बोर्ड/निजी खातेदारी/सहकारी समिति की योजना / कॉलोनी महावीर नगर

स्थान 20/25/01/1 मूखण्ड/निर्मित आवास स 90(58) 99 and 10, 101, 102 and 102A क्षेत्रफल 2983.51 वर्ग फीट
श्री/श्रीमती/सुश्री अश्ववाल पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री अनार अश्ववाल 3960/24/3/21
2. पुत्र अश्ववाल 10 केशव अश्ववाल 4030
निवासी 3. श्रीना अश्ववाल 10 पुत्र अश्ववाल को कनांक दिनांक 21/6/21,
इस जमीन को दे दिया गया था। उक्त लीजडीड पट्टा को दिनांक को ऑफ/ऑन लाईन 3976/
माध्यम से श्री होल्ड लीज डीड (पट्टामिलेख) जारी करने हेतु आवेदन के साथ अनुरोध (Affidavit to Surrender Right of Lease Deed (पट्टा)) हेतु प्रस्तुत किया है। 25/3/21

राजस्थान सरकार के प्रचलित आदेशों के क्रम में उक्त मूखण्ड / निर्मित आवास मूल / विक्रय पत्र / दानपत्र / बलीयत / सहमति से बटवारा/गोदनामा / उत्तराधिकार / सक्षम न्यायालय की डिक्री के आदेशानुसार/उप विभाजन/पुनर्गठन/एवं अन्य वैधानिक दस्तावेजों के आधार पर श्री/श्रीमती/सुश्री

श्री. श्याम 2-22असकेब पुत्र/पुत्री श्री महिपाल सुप्रिया 10 सुरफराके

निवासी सी-56, 4 सी-एफएम, -3 लोहमण्डली सीकर रोड, जयपुर के उप पंजीयक कार्यालय महानगर में प्रतीकृत हुआ है, जो दिनांक 01/01/22 पुस्तक संख्या 1, 1, 1 जिल्द संख्या 780, 1, 1 पुस्तक संख्या 39, 30, 7 संख्या 2022030 पर पंजीबद्ध है तथा अनिश्चित पुस्तक संख्या 1, 1, 1 जिल्द संख्या 3110, 1, 1 पुस्तक संख्या 708, 2022030 पर पंजीबद्ध है। को आज दिनांक 21/6/21 जवित्रा में लीजडीड एवं श्रद्धालाबद्ध मूल दस्तावेज प्रस्तुत किए जा चुके हैं। 714 6727, 265 के 278

अतः श्री/श्रीमती/सुश्री श्री. श्याम 2-22असकेब को पट्टा में पारित है।

पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री महिपाल सुप्रिया 10 सुरफराके

निवासी सी-56, 4 सी-एफएम, -3 लोहमण्डली सीकर रोड, जयपुर के पक्ष में दिनांक 21/6/21 को श्री होल्ड लीज डीड (पट्टामिलेख) एवं नवीन साइट प्लान जारी किया गया।



उपायुक्त सुप्रिया अधिकारी
जोन-पी.आर.एन. (दक्षिण-द्वितीय)
सुप्रिया, जयपुर

क्रमांक 443 दिनांक 28/6/2022
 मुद्रांक का मूल्य 500/-
 क्रेता का नाम महेन्द्रजी श्याम सुन्दर पाईनेज जरीदे पाईनेज श्री महिला दुग्ध
 पिता/पति का नाम लाल सुन्दर जरीदे
 निवास स्थान C-56-42 सी.डी. रोड जयपुर
 मुद्रांक खरीदने का आशय तथा सम्बन्धित कार्य
 का मूल्यांकन श्री दीपक पट्ट

ललित किशोर गुप्ता
 स्टाम्प विक्रेता ला.नं. 36/2019
 सागानेर, जयपुर (राज.)
 Mob. No. 9667776365

राजस्थान स्टाम्प अधिनियम 1998 के अन्तर्गत स्टाम्प जारी एवं प्रमाणित अधिकारी	
1. आभासी/सुलभ आवश्यकता सुविधाओं हेतु (धारा 3-क)-10% रुपये	50
2. गांव और छावनी जल के संस्करण एवं प्रदान हेतु (धारा 3-ख)/प्राकृतिक आपदाओं एवं मानव निर्मित आपदाओं के निवारण हेतु-20% रुपये	100
कुल योग 150	
हस्ताक्षर स्टाम्प विक्रेता	



परिशिष्ट

पंजीयन हेतु प्रमाण पत्र

यह कि जयपुर विकास प्राधिकरण/नगर विकास न्यास/बोर्ड/निजी खातेदारी/सहकारी समिति की योजना / कॉलोनी महवीर नगर

स्थान ओरखवाड़ा भूखण्ड/निर्मित आवास से 30(58) 99 and 100, 101, 102 and 102A क्षेत्रफल

श्री/श्रीमती/सुश्री अश्ववाल पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री अनार अशवाल 3960/24/3/21

निवासी 2.1 पुया अशवाल को किशन अशवाल 4030 दिनांक 21.6.21

माध्यम से फ्री होल्ड लीज डीड (पट्टाभिलेख) जारी करने हेतु आवेदन के साथ अभ्यर्पण (Affidavit to Surrender Right of Lease Deed (पट्टा)) हेतु प्रस्तुत किया है। 3976/25/3/21

राजस्थान सरकार के प्रचलित आदेशों के क्रम में उक्त भूखण्ड / निर्मित आवास मूल / विक्रय पत्र / दानपत्र / वसीयत / सहमति से बंटवारा/गोदनामा / उत्तराधिकार / सक्षम न्यायालय की डिक्री के

आदेशानुसार/उप विभाजन/पुनर्गठन/एवं अन्य वैधानिक दस्तावेजों के आधार पर श्री/श्रीमती/सुश्री

श्री श्याम 2-22 प्रखंड पुत्र/पुत्री श्री महिपाल सुंदरनाथ सुंदरनाथ

निवासी 41-56 4.14-20 म. च्यु लोह मण्ड रहीकर रेड, जयपुर को उप

पंजीयक कार्यालय जयपुर में पंजीकृत हुआ है, जो दिनांक 01.01.22 पुस्तक संख्या 1.1.1

जिल्द संख्या 7-80 में पुस्तक संख्या 39 307 संख्या 2022030 21.11.2022 088, 2022

अतिरिक्त पुस्तक संख्या 1, 11, 111 जिल्द संख्या 311 के पुस्तक संख्या 21.11.2022 पर चर्चा

हुआ है। को आज दिनांक 21.11.2022 जयपुरा में लीज डीड एवं श्रद्धालाबद्ध मूल दस्तावेज प्राप्त किये

जा चुके हैं। 714 4727, 2650 27

अतः श्री/श्रीमती/सुश्री महिपाल सुंदरनाथ सुंदरनाथ

पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री महिपाल सुंदरनाथ सुंदरनाथ

निवासी 41-56 4.14-20 म. च्यु लोह मण्ड रहीकर रेड, जयपुर के पक्ष में दिनांक

को फ्री होल्ड लीज डीड (पट्टाभिलेख) एवं नवीन साइट प्लान जारी किया गया।



उपायुक्त उपायुक्त अधिकारी
जोन-पी.आर.एन. (दक्षिण-द्वितीय)
जयपुरा, जयपुर।

क्रमांक 443 दिनांक 28/6/2022

मुद्रांक का मूल्य 500/-

क्रेता का नाम महेन्द्र 3A 2 भाग स्टारगार्डन जयपुर पाथेन सी महिपाल डुविम

पिता/पति का नाम लाल सुभाष

निवास स्थान C-56-4-2 सी 2 सी 2 सी 2 सी 2

मुद्रांक खरीदने का आशय तथा सम्बन्धित कार्य

का मूल्यांकन 1000/-

ललित किशोर गुप्ता
स्टाम्प विक्रेता ला.नं. 36/2019
सागानेर, जयपुर (राज.)
Mob. No. 9667776365

राजस्थान स्टाम्प अधिनियम 1998 के अन्तर्गत स्टाम्प अधिनियम 1998 के अन्तर्गत	
1. आवासीय आवश्यकता सुविधाओं हेतु (पारा 3-क)-10% रुपये	50
2. गाय और बकरी पालन के संरक्षण हेतु आवश्यक (पारा 3-ख)/प्राकृतिक अपदाओं एवं कृषि निमित्त आपदाओं के निवारण हेतु-10% रुपये	100
कुल योग	150
हस्ताक्षर स्टाम्प विक्रेता	

Government of Rajasthan
REGISTRATION & STAMPS DEPARTMENT, RAJASTHAN, AJMER
SUB-REGISTRAR, JAIPUR-VII

Fee Receipt

Appendix Form No. 9 (Rule 75 & 131) Print Date : 04-10-2022 10:46 AM

Fee Receipt No	: 202202021028569	Receipt Date	: 04/10/2022
Name	: SHREE SHYAM ENTERPRISES AS PARTNER MAHIPAL DUKIYA, ADV RAMESH KUMAR	Document S. No.	: 202201021023756
Address	: PLOT NO 98 (SP) 99 AND 100, 101, 102 AND 102A SCHEME MAHAVEER NAGAR VILL MANPUR DEVRI URF GOLYAWAS JAIPUR		
Document Type	: Inspection And Search		
Face Value	: ₹ 0	Evaluated Value	: ₹ 0
Ord-Registration Fee	: ₹ 0	Fee for Memorandum Us_64_67	: ₹
CSI	: ₹ 0	Certified copying fees Us_57	: ₹ 0
Stamp (Memorandum)	: ₹	Reg (memorandum)	: ₹
Surcharge	: ₹ 0	Stamp Duty	: ₹ 0
Penalty	: ₹ 0	Inspection fee	: ₹ 50
Us_25_34	: ₹ 0	Commission	: ₹ 0
Custody	: ₹	Others	: ₹ 0
		Cash Amount Received	: ₹ 0
		Other than Cash	: ₹ 50
From Year 2022 To Year 2022		Total Amount	: ₹ 50

Mode of Payment (#Mode Number Amount #)

e-Gras Challan 67164112 ₹ 50

Signature of presenter or applicant for
copy or Search certificate

Cashier

Signature of recipient
and date of return receipt

SUB-REGISTRAR



e-Challan

Registration and Stamps department
Government of Rajasthan

GRN: 0067164112



Payment Date: 04/10/2022 10:19:15

Office Name: SUB REGISTRAR-VII REGISTRATION & STAMPS, JAIPUR
Location: JAIPUR (CITY)
Period: 01/04/2022-To-31/03/2023

S.No	Purpose/Budget Head Name	Amount (₹)
1	0030-03-800-01-00-अन्य प्रप्तियां	50.00
Commision(-):		0.00
Total/NetAmount:		50.00

Fifty Rupees and Zero Paise Only

Payee Details:

Full Name: ADV RAMESH KUMAR	Tin/Actt.No./VehicleNo./Taxid :
Pan No.(If Applicable):	City(Pincode): jaipur(302021)
Address:PLOT NO 98(SP) 99 AND 100,101,102 AND 102A MAHAVEER NAGAR VILL MANPUR DEVRI URF GOLYAWAS SANGANER JP	Remarks:SEARCH AND INSPECTION

Payment Details:

Bank:	PNB GateWay(Credit/Debit Cards)	Challan No. -	0
Date:	04/10/2022 10:19:15	Bank CIN No:	PNBG6716411204102022
		Refrence No:	15988617570

Computer generated copy on : 04/10/2022

Courtesy : <https://Egras.rajasthan.gov.in>





RAMESH KUMAR

Advocate - Rajasthan High Court
Bar Association Code-R/2523/2014

OFFICE :
Tirupati Law Chamber &
Associates, A-11,
Chitrakoot Stadium,
Vaishali Nagar, Jaipur
Contact No. 9983500721

No.

DATE :- 04-10-2022

NOT-ENCUMBRANCE CERTIFICATE/SEARCH REPORT

Area 2983.51 Sq.Yds. and 2494.59 Sq. Meter. of PLOT No. 98(SP) 99 and 100, 101, 102 and 102 A, SCHEME MAHAVEER NAGAR, VILLAGE-MANPUR DEVARI URF GOLYAWAS, TE-SANGANER, JAIPUR. Raj. present owner M/S SHREE SHYAM ENTERPRISES AS PARTNER MAHIPAL DUKIYA S/o Sh. SURJA RAM, AGED-32 YEARS, CASTE-JAT, R/o C, 56, COLONY, NEW LOHA MANDI, SIKAR ROAD, 4-C SCHEME, JAIPUR, RAJASTHAN.

I, Ramesh Kumar, Advocate have caused necessary search in the office of Sub-Registrar Office, stamp and Registration Department, Jaipur for the period of 2022-2022 and have inspected all relevant record and all other document in respect of the aforesaid property my search report is as follows.

That PLOT No. 98(SP) 99 and 100, 101, 102 and 102 A, SCHEME MAHAVEER NAGAR, VILLAGE-MANPUR DEVARI URF GOLYAWAS, TE-SANGANER, JAIPUR. Area 2983.51 Sq.Yds. and 2494.59 Sq. Meter. is initially allotted by Jaipur Development Authority Jaipur by the M/S SHREE SHYAM ENTERPRISES AS PARTNER MAHIPAL



RAMESH KUMAR

Advocate - Rajasthan High Court
Bar Association Code-R/2523/2014

OFFICE :

Tirupati Law Chamber &
Associates, A-11,
Chitrakoot Stadium,
Vaishali Nagar, Jaipur
Contact No. 9983500721

DUKIYA S/o Sh. SURJA RAM executed a Allotment No. 529, Dated 19-07-2022.

After that said Lease-Deed Free Hold is duly stamped and duly registered in the office of Sub-Registrar Jaipur-VII Jaipur on dated **21.07.2022 vide Book No. 01, Volume No. 797, at Page No. 45 Serial No. 202203021115294** And the copy of deed filed in **Additional Book No. 1, Volume No. 3186 at Pages 692 to 705.**

After that, **M/S SHREE SHYAM ENTERPRISES AS PARTNER MAHIPAL DUKIYA S/o Sh. SURJA RAM** On Plot Permission of Building Construction, Stilt+5 Floor+18 Meter Building Height under the relevant legal provisions has been accorded vide letter no. जविप्रा/उपा./जोन-पी.आर.एन. दक्षिण-द्वितीय/2022/डी-3600 दिनांक 30.07. 2022.

I, hereby certify that the said **PLOT No. 98(SP) 99 and 100, 101, 102 and 102 A, SCHEME MAHAVEER NAGAR, VILLAGE-MANPUR DEVARI URF GOLYAWAS, TE-SANGANER, JAIPUR Area 2983.51 Sq.Yds. and 2494.59 Sq. Meter.** is free from all sorts of encumbrances, charges liabilities, liens and attachment of any kind whatsoever and the title of the said property is clear , free and marketable. I hereby certify that Urban Land Ceiling Act and Tenancy Law Act. do not affect the said property and no permission or any no



RAMESH KUMAR

Advocate - Rajasthan High Court
Bar Association Code-R/2523/2014

OFFICE :

Tirupati Law Chamber &
Associates, A-11,
Chitrakoot Stadium,
Vaishali Nagar, Jaipur
Contact No. 9983500721

objection certificates for the purposes of sale are necessary. It is also hereby certified that said **PLOT No. 98(SP) 99 and 100, 101, 102 and 102 A** is not hit by any restriction of Urban Land (Cellings Regulations) Act. 1976, and it is fit for equitable mortgage.

The Property **PLOT No. 98(SP) 99 and 100, 101, 102 and 102 A** Jaipur.

The fee Receipt No. 202202021028569 dated 04-10-2022 For the relevant searches are enclosed herewith.

(Ramesh Kumar)



Advocate